उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993)

धाराओं की विषय सूची

धारायें

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
2- परिभाषायें.
3- शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण.
4- कठिनाइयों को दूर करना.
5- अपवाद.
6- निरसन और अपवाद.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- परिभाषायें- इस अधिनियम में,--

[1]**["(क) "** दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात :--

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव ; या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या; .

(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के . कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;

(कक) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव. कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।"]

(**ख**) आश्रित का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

[2][(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) से है ।]

''भूतपूर्व सैनिकों '' का तात्पर्य ऐसे व्यकित्त से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत हुआ है, या

---

[1] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा-2 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 09-07-1997)

[2] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 2015 की धारा-2 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 07-04-2015)

(दो) चिकित्सीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों , जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गयी है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है, और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं--

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में योग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(ग) (च) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अविध के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो; या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतों का दण्ड भोगा हो; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो; या

(छ) जिसे फरार घोषित किया गया हो; या

(सात) जो '' पेशावर काण्ड' में रहा हो; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो; या

(नौ) जो इण्डिया इण्डिपेंन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो; या

(दस) जिसे गांधी- इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसनें माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

[1]**[(घ-1)** 'समूह क के पद' या 'समूह ख के पद' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;]

[2]**[(घघ)** "श्रवण ह्रास" का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है।

(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो;

(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह

---

[1] उ0प्र0 अधि0 सं0 29 आफ 1999 की धारा-2 द्वारा बढाया गया | (दि0 21-05-1999)

[2]उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा-2 (ख) द्वारा बढाया गया | (दि0 09-07-1997)

समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;]

[1] **[(ड.)** शारीरिक नि:शक्तता का तात्पर्य उन नि:शक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।]

[2][(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।"]

3- शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण-

(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा:-

[3][(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए;]

[4][(एक-क) समूह 'क' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में से ऐसे दिनांक को और से, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पांच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए;"]

[5][(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करें, प्रत्येक समूह के पदों में से संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तयों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, संदर्भित नि:शक्त वयक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड-क, ख, ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड-घ और ड़ के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि,

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।]

(2) [6][XXXXXX]

---

[1] उ0प्र0 अधि0 सं0 32 आफ 2018 की धारा-2 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 23-07-2018)

[2] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा-2 (च) द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 09-07-1997)

[3] उ0प्र0 अधि0 सं0 29 आफ 1999 की धारा- 3 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 21-05-1999)

[4] उ0प्र0 अधि0 सं0 14 आफ 2021 की धारा- 2 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 10-03-2021)

[5] उ0प्र0 अधि0 सं0 32 आफ 2018 की धारा-3 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 23-07-2018)

[6] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा-3 (ख) द्वारा निकाला गया | (दि0 09-07-1997)

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित हैं। उदाहरण के लिये यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायगा, यदि वह [1]**[नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की]** श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तब उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) [2][XXXXX]

(5) [3][XXXXXX]

4- कठिनाइयों को दूर करना-

(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) [4][XXXXXX]

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23- क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते है।

5- अपवाद-

[5]**[(1)** उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जनमें 1997 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे,व्यवहृत किये जायेंगे।]

(1-क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जनमें 1999 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे,व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण-- उपधारा (1) और (1-क) के प्रयोजनों के लिए वहाँ चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी , जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहाँ यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो. या

---

[1] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा-3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 09-07-1997)

[2] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा- 3 (घ) द्वारा निकाला गया | (दि0 09-07-1997)

[3] उ0प्र0 अधि0 सं0 12 आफ 2016 की धारा-2 द्वारा निकाला गया | (दि0 07--04-2016)

[4] उ0प्र0 अधि0 सं0 6 आफ 1997 की धारा-4 द्वारा निकाला गया | (दि0 09-07-1997)

[5] उ0प्र0 अधि0 सं0 29 आफ 1999 की धारा-4 द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 21-05-1999 से प्रवृत्त)

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो। **]**

6- निरसन और अपवाद-

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा(1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

[1] [अनुसूची
धारा-2 का खण्ड (ड़) देखें
विनिर्दिष्ट शारीरिक नि:शक्तता

<u>शारीरिक निःशक्तताः-</u>

1-क- चलनक्रिया सम्बन्धित निशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशी कंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः-

(क) 'कुष्ठ उपचारित व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है ;

(दो) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है ;

(तीन) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद 'कुष्ठ व्यक्ति' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ख) प्रमस्तिष्क घात' का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती हैः

(ग)'बौनापन' का तात्पर्य किसी चिक्तिसीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊचांई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उस से न्यून रह जाती हैः

(घ)'पेशी दुष्पोषण' का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है

---

[1] उ0प्र0 अधि0 सं0 32 आफ 2018 की धारा-4 द्वारा बढाया गया | (दि0 23-07-2018 से प्रवृत्त)

जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियां और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है

(ड.)'अम्ल आक्रमण पीड़ित' का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है:

ख- दृष्टि ह्रास -

(क)'अंधता' का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव या

(दो) सर्वोत्तम सम्भंव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200(स्नेलन) से अन्यून या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) 'निम्न दृष्टि' का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् -

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग- श्रवण शक्ति का ह्रास-

(क) 'बधिर' का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डेसीबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है;

(ख) 'ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति' का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसीबल से 70 डेसीबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति से है:

घ-'अभिवाक् और भाषा निःशक्तता' का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2- 'बौद्धिक निःशक्तता' ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यावहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है:-

(क) 'विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता' का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित हैं यथा-बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया,डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है:

(ख) 'स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार' का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3- मानसिक व्यवहार-

'मानसिक रूग्णता' का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4- निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

(एक) 'बहु-स्केलेरोसिस' का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती हैः

(दो) 'पार्किंसन रोग' का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बन्धित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(एक) 'हेमोफीलिया' का तात्पर्य किसी आनुवंशकीय रोग से है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरूष बालकों को सम्प्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता हैः

(दो) 'थेलेसीमिया' का तात्पार्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति हैः

(तीन) 'सिक्कल कोशिका रोग' का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरण- 'हेमोलेटिक', लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5- बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निःशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्यायें होती हैं।

6- कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।